

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या 33/2018 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाम

1. श्री अनिल कुमार पुत्र रामपाल अग्रवाल (विक्रेता) मैसर्स आनन्दीराम रामपाल अग्रवाल, बस स्टैण्ड बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती कलावती देवी अग्रवाल पत्नी अनिल कुमार अग्रवाल (मालिक) मैसर्स आनन्दीराम रामपाल अग्रवाल, बस स्टैण्ड बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
3. मैसर्स आनन्दीराम रामपाल अग्रवाल, बस स्टैण्ड बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(v) एवं धारा 58

उपस्थित—

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 27.05.2019

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी श्री अनिल कुमार पुत्र रामपाल अग्रवाल (विक्रेता) मैसर्स आनन्दीराम रामपाल अग्रवाल, बस स्टैण्ड बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत लाल मिर्च पाउडर का विक्रय कर रहा था। अनिल कुमार पुत्र रामपाल अग्रवाल (विक्रेता) मैसर्स आनन्दीराम रामपाल अग्रवाल, बस स्टैण्ड बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मौके पर एक पीपे में लगभग 8-10 किग्रा लाल मिर्च पाउडर रखा था। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी

व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार लाल मिर्च पाउडर का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.07.2018 को समय 12.30 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु अनिल कुमार पुत्र रामपाल अग्रवाल (विक्रेता) मैसर्स आनन्दीराम रामपाल अग्रवाल, बस स्टैण्ड बनेड़ा, जिला भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। इस समय दुकान पर पर खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत से अनिल कुमार पुत्र रामपाल अग्रवाल (विक्रेता) मैसर्स आनन्दीराम रामपाल अग्रवाल, बस स्टैण्ड बनेड़ा, जिला भीलवाडा था एवं आम जनता के उपयोग हेतु लाल मिर्च पाउडर काम मे ले रहा था। विक्रेता/मालिक से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य लाईसेंस मांगा गया। विक्रेता/मालिक द्वारा खाद्य लाईसेंस होना बताया गया।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में 180/-रु. नगद देकर 2 किलो लाल मिर्च पाउडर वास्ते जाँच खरीदा एवं रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये गये। जिस पर डी.ओ. कोड व सीरियल नम्बर एक्स - 531 नाम, पता, वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। प्रत्येक नमूना भाग के लिए उक्त लेबल तैयार कर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./353/ एफएसएसए/2018/359 दिनांक 16.07.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण contravenes regulation No. 2.3.14(15) because it sold in loose condition होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।



जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी अनिल कुमार पुत्र रामपाल अग्रवाल (विक्रेता) मैसर्स आनन्दीराम रामपाल अग्रवाल, बस स्टैण्ड बनेड़ा, जिला भीलवाडा द्वारा लूज खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 24.10.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 28.11.2018 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना लाल मिर्च पाउडर loose condition होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने लाल मिर्च पाउडर contravenes regulation No. 2.3.14(15) because it sold in loose condition होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा loose condition खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है।


बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./353 /एफएसएसए/2018/359 दिनांक 16.07.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड contravenes regulation No. 2.3.14(15) because it sold in loose condition होना पाया गया। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना loose condition पाया गया एवं विपक्षी द्वारा loose condition खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। विभागीय पैरोकार से लाल मिर्च पाउडर loose condition के विषय पर स्पष्टीकरण मांगा गया जिसमें विभागीय पैरोकार ने इस प्रकार के मामलों में विपक्षी को भविष्य में खुले मसाले का बेचान नही करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी अनिल कुमार पुत्र रामपाल अग्रवाल (विक्रेता) मैसर्स आनन्दीराम रामपाल अग्रवाल, बस स्टैण्ड बनेड़ा, जिला भीलवाडा loose condition लाल मिर्च पाउडर विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार

विपक्षी द्वारा loose condition खाद्य पदार्थ का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।


उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत विपक्षी पर 10,000/-रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती हैं एवं विपक्षी को निर्देशित किया जाता हैं कि भविष्य में वह खुले मसाले का विक्रय नही करें। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर
- 2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
- 3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4. श्री अनिल कुमार पुत्र रामपाल अग्रवाल (विक्रेता) मैसर्स आनन्दीराम रामपाल अग्रवाल, बस स्टैण्ड बनेड़ा, जिला भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।
5. श्रीमती कलावती देवी अग्रवाल पत्नी अनिल कुमार अग्रवाल (मालिक) मैसर्स आनन्दीराम रामपाल अग्रवाल, बस स्टैण्ड बनेड़ा, जिला भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।
6. मैसर्स आनन्दीराम रामपाल अग्रवाल, बस स्टैण्ड बनेड़ा, जिला भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा